कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,सक्ती जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

फोन नम्बर - 07757-233853

Email : deosakti28@gmail.com

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक / स्था-4 / अनु.नियु/2021-22/7458 सक्ती दिनांक 16../03/2022

*****

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3 नया रायपुर दिनांक **14/06/2013**,एवं परिपत्र क्र/एफ 7-1/2019/1-3/अटल नगर रायपुर दिनांक **23-02-2019** के अनुक्रम में दिवंगत शासकीय सेवक के निम्नांकित आश्रित को निर्धारित शर्तों के अधीन सहायक ग्रेड-03 के पद पर वेतन मैट्रिक्स **04** में **19500.00** प्रतिमाह एवं शासन द्वारा देय महगाई भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाता है । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना सूचना एवं कारण के समाप्त की जा सकती है । सेवा से त्याग पत्र देने पर 1 माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा करना होगा ।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	पदांकित संस्था का नाम / विकास खण्ड
1	2	3	4	5
1	कु. श्रध्दा सिंह जगत,	स्व.श्री भुवर सिंह जगत	ग्राम-जमड़ार, पोस्ट-धारपारा, विकास खण्ड मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	**शासकीय हाईस्कूल कन्या सिंघरा,** विकास खण्ड मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

शर्तें :-

1. अनुकंपा नियुक्ति दिवंगत शासकीय सेवको के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं अभिलेखों के आधार पर दी जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित अभ्यार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
2. अभ्यर्थी आदेश जारी तिथि से " **पन्द्रह दिवस** " के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लेवे, अन्यथा संबंधित का आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही कार्यालय प्रमुख वेतन आहरण करेगें ।
4. आवेदक अपने शैक्षणिक योग्यता जाति एवं अन्य मूल प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करें.कार्यालय प्रमुख उसकी प्रमाणित प्रति अपने कार्यालयीन अभिलेख में सुरक्षित रखें ।
5. आयु के प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगें ।
6. विधवा एवं विधुर को डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर में **5000** की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से हिन्दी टाईपिंग से छूट रहेगी ।
7. विधवा एवं विधुर के अलावा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को सहायक ग्रेड-**03** के पद पर अनुकम्पा नियक्ति हेतु उसे उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियम मे निर्धारित शैक्षणिक अर्हता मे कोई छूट प्राप्त नही होगी । उसे अन्य अर्हताओं जैसे- डाटा आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र से छूट होगी, परन्तु कम्प्यूटर में **5000** की डिप्रेशन प्रतिघंटा की

गति से हिन्दी टायपिंग संबंधी कौशल परीक्षा दो वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी होगी यदि ऐसा नही हुआ तो उक्त अवधि को नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति से अतिरिक्त एक–एक वर्ष करके, दो बार बढ़ाया जा सकेगा। यदि 4 वर्ष में भी वह कर्मचारी कौशल परीक्षा उत्तीर्ण नही करता हो उसे वेतन वृद्धि मिलना तभी शुरू होगी जब वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा संबंधित कर्मचारी की आयु 45 वर्ष होने पर उसे कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जावेगी अथवा एवं 45 वर्ष पूर्ण करने के दिनांक से उसकी नियुक्ति नियमित की जावेगी ।

8. तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–03 के पद अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त विधवा/ विधुर /आश्रित पुत्र अविवाहित पुत्री/आश्रित विधवा पुत्री /तलाक शुदा पुत्री को विभागीय भर्ती नियम में शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त निर्धारित अन्य तकनीकी अर्हता 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त करना आवश्यक होगी । परन्तु 45 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हे इसे छूट प्राप्त होगी ।

9. संबंधित का पुलिस व्हेरीफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जावे ।

10. छ.ग. शासन वित्त विभाग के पत्र क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 29.07.2020 में दिये निर्देशानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन भुगतान होगा।
    अ. प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम् का 70 %
    अ. द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम् का 80 %
    अ. तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम् का 90 %
    परीक्षावधि सफलता पूर्वक समाप्ति पश्चात लागू वेतनमान का न्यूनतम् नियत किया जावेगा।

16/3/22

(बी.एल.खरे)
जिला शिक्षा अधिकारी,
सक्ती.

पृष्ठा क्रमाँक/स्था–4/अनु.नियु/2021–22/7459 सक्ती दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपि,

1. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय,छ.ग.रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक,संभागीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,सक्ती/मालखरौदा/जैजैपुर डभरा, को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. प्राचार्य,शास. हाईस्कूल कन्या सिंघरा,विकास खण्ड मालखरौदा, को सूचनार्थ अग्रेषित। संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व नियुक्ति के लिये सभी शर्तो की पुष्टि व्यक्तिगत रूप से कर लेवें,। इस पर किसी विसंगति अथवा त्रुटिगत जानकारी पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
7. संबंधित कुमारी ऋचा सिंह जगत, पिता स्व.श्री भूधर सिंह जगत, ग्राम–नगझर, पोस्ट–चारपारा, विकास खण्ड मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एव पालनार्थ। संबंधित कार्यालय/ संस्था प्रमुख द्वारा जो भी आवश्यक दस्तावेज/शपथपत्र मांगे उसकी प्रमाणित प्रति कार्यालय/ संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा दी गयी जानकारी एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की विसंगति अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी सूचना एवं कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।

16/3/22

जिला शिक्षा अधिकारी,
सक्ती.